म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन, जेल रोड भोपाल

कमांक / बोर्ड / निरीक्षण / 2018–19 / 186 भोपाल, दिनांक– 21 / 12 / 2018

:: परिपत्र ::

मण्डी बोर्ड मुख्यालय से मण्डी समितियों के कराये गये निरीक्षण में यह विदित हुआ है कि प्रायः मण्डी समिति के प्रांगण की साफ–सफाई तथा मण्डी कार्यालय के रख रखाव की स्थिति ठीक नहीं रहती है। मण्डी प्रांगण में आने वाले कृषक एवं अन्य कृत्यकारियों को साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने के साथ–साथ न्यूनतम आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराने का दायित्व मण्डी समितियों का है। प्रांगण में शुद्ध पेयजल व्यवस्था, जनसुविधाओं का संचालन, प्रांगण के भीतर अनावश्यक रूप से उगी हुई झाड़ियॉ एवं अन्य गंदगी का उन्मूलन, मण्डी कार्यालय भवन व कार्यालय के शौचालय इत्यादि की साफ–सफाई एवं रख–रखाव सुनिश्चित करने हेतु निम्न विवरण अनुसार कार्य निर्धारित किये जाते हैं :–

मण्डी समितियों के प्रांगण में रख–रखाव, साफ–सफाई, मरम्मत आदि कार्यों का विवरण :–

1. मण्डी कार्यालय भवन में दीवारों के प्लास्टर, दरारों, उखड़े फर्श इत्यादि की मरम्मत।
2. मण्डी कार्यालय भवन की रंगाई–पुताई।
3. मण्डी कार्यालय भवन में पेयजल की व्यवस्था एवं जल निकासी की व्यवस्था।
4. शौचालयों गें साफ–सफाई एवं पानी की व्यवस्था।
5. कार्यालय भवन में विद्युत व्यवस्था की मरम्मत।
6. कार्यालय भवन परिसर / मण्डी प्रांगण में उगी हुई झाड़ियों का उन्मूलन।
7. कार्यालय भवन में पीकदान / डस्टबिन की व्यवस्था जिसमें गंदगी न हो।
8. मण्डी प्रांगण में गेट, चैक पोस्ट, बाउण्ड्री वाल की टूट–फूट की मरम्मत आदि।
9. मण्डी प्रांगण में उपलब्ध संरचनाओं की रंगाई–पुताई की व्यवस्था।
10. मण्डी प्रांगण में उबड़–खाबड़ जगह का समतलीकरण। (जहॉ आवश्यक हो)
11. मण्डी प्रांगण में आवारा पशुओं को रोकने हेतु आवश्यक उपाय
12. मण्डी प्रांगण के भीतर यदि कहीं दूषित जल एकत्रित होता हो तो उसके निकासी की व्यवस्था।
13. मण्डी प्रांगण में स्ट्रीट लाईट को दुरूस्त करना।
14. मण्डी प्रांगण में संचालित केंटीन / कृषक विश्राम गृह में साफ–सफाई की व्यवस्था।
15. प्रांगण में बड़े पेड़ों की कटाई छंटाई इस ढंग से की जावे कि पेड़ भी सुंदर दिखें एवं उनके कारण भवन आदि की सुन्दरता पर पड़ने वाला विपरीत असर भी समाप्त हों।
16. मण्डी प्रांगण में बैलगाड़ी से आने वाले कृषकों के पशुओं के लिये उचित स्थान की व्यवस्था।
17. मण्डी प्रांगण में बैलगाड़ी से आने वाले कृषकों के पशुओं के लिये पीने के पानी की हौद की व्यवस्था।

ऐसी मण्डी समितियॉ जहॉ पूर्व में ही प्रांगण के साफ–सफाई का कार्य निजी संस्था अथवा ठेकेदार को दिया गया है, संबंधित ठेकेदार से सुनिश्चित कराया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्ण कराया गया है।

मण्डी समिति के प्रांगण की साफ–सफाई तथा मण्डी कार्यालय के रख रखाव अंतर्गत सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों के जिम्मेदारी पृथक–पृथक कार्य अनुसार मण्डी समितियों के सचिव, प्रांगण प्रभारी एवं उपयंत्री की रहेगी। जिसका समय–समय पर अवलोकन एवं निरीक्षण का दायित्व संभागीय संयुक्त/उप संचालकों का रहेगा।

मण्डी समितियों द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही/प्रगति का समय–समय पर मण्डी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/परीक्षण किया जावेगा। कार्य की प्रगति अनुसार संबंधित मण्डी समिति को पुरूस्कृत किया जावेगा।

प्रांगण की साफ–सफाई तथा मण्डी कार्यालय के रख रखाव का कार्य निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये कराया जावेगा। उक्त कार्य चूँकि रख–रखाव/मरम्मत के संबंध में हैं, अतः यह कार्य मण्डी कार्ययोजना में कराये जाने संबंधी प्रावधानों से मुक्त रहेंगे।

10/12

प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/6/4/1/निरीक्षण/18–19/187 भोपाल,दि. 21/12/2018

प्रतिलिपि,

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय.................... (समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण के समय उपरोक्त जारी दिशा–निर्देश के अनुसार पालन कराना सुनिश्चित करें।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ....जिला........................(समस्त) की ओर जारी निर्देशों के पालनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचालक(निरीक्षण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल